शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-1 (Jan.-June) 2025
Page No- 71-74

©2025 Shodhaamrit (Online)
www.shodhaamrit.gyanvividha.com

डॉ. अमरेन्द्र कुमार वर्मा
सहायक प्राध्यापक,
दर्शनशास्त्र विभाग,
श्री महंथ सदानन्द गिरि
महाविद्यालय, शेरघाटी
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया.

Corresponding Author :
डॉ. अमरेन्द्र कुमार वर्मा
सहायक प्राध्यापक,
दर्शनशास्त्र विभाग,
श्री महंथ सदानन्द गिरि
महाविद्यालय, शेरघाटी
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया.

बौद्ध साहित्य में नारी का शैक्षणिक एवं धार्मिक जीवन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

वैदिक युग में नारी शिक्षा- भारतीय समाज के प्रारम्भिक युग में नारियों का शैक्षणिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था? इसका ज्ञान भी हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। वैदिक काल में शिक्षा का क्षेत्र मुख्यतः वैदिक मन्त्रों की रचना एवं उनके विनियोग तक ही सीमित था। अन्य विद्याओं की शिक्षा उस काल में वंशपरम्परागत रूप में प्राप्त होती थी। इस तरह रथकार, कृषक आदि वर्गों के लोग अपने बालकों को अपनी वंश-परम्परागत शिक्षा दिया करते थे। वैदिक मन्त्रों की शिक्षा यज्ञ-याग के लिये दी जाती थी। किन्तु वैदिक मन्त्रों की रचना स्वतः स्फुरित ज्ञान के रूप में होती थी। इसीलिये वैदिक ऋषियों की पुत्रियों और पत्नियां भी प्रातिभ ज्ञान के रूप में मन्त्रों की रचना करती थी। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त है जिनकी रचना स्त्रियों ने की है।[1] काक्षीवती, घोषा, यमी, अपाला, सूर्या, सावित्री, शर्मा, श्रद्धाकामायनी, उर्वशी आदि ऐसी ही ऋषिकन्याएँ है जिन्होंने अपने प्रातिभज्ञान से ऋषित्व पद प्राप्त किया था।

वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक काल में भी नारियों का यह उन्नत शैक्षणिक स्वरुप वर्तमान रहा। उपनिषदों में जाबाली, गार्गी आदि नारियों ब्रह्मज्ञान में निष्णात थी और बड़े बड़े ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं। उत्तर वैदिक काल के अन्तिम चरण महाभारत काल में भी स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का क्रम पूर्ववत् बना हुआ था। महाभारत में वर्णित नारियों पुरुषों की सहयोगिनी और सहकर्मिणी के रूप में दिखायी गयी है। बिना शैक्षणिक योग्यता के ऐसा करना सम्भव नहीं है। इस तरह वैदिक काल से लेकर बुद्ध युग से पूर्व तक स्त्रियों में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार दिखायी पड़ता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों वैदिक धर्म रुढ़ होता गया त्यों त्यों क्रमशः नारी के लिये शिक्षा का हास होता गया। महाभारत काल में मन्त्रों की रचना करने वाली अथवा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने वाली नारियाँ नहीं दिखायी पड़ती। नारी शिक्षा का यह ह्रास वैदिक काल में भी बढ़ता गया।

बौद्ध साहित्य में नारियों के शैक्षणिक एवं धार्मिक जीवन का जो चित्रण हुआ है उसके आधार पर यहाँ तत्कालीन नारियों के शैक्षणिक एवं धार्मिक जीवन सम्बन्धी वर्णन के विषय में विचार किया जायगा। इस काल में लड़कियों को पतिगृह

में कैसे रहना चाहिये? किस तरह से पति-सेवा करनी चाहिये? उसके साथ किन कार्यों में भाग लेना चाहिये- आदि के सम्बन्ध में विवाह से पूर्व शिक्षा दी जाती थी। अङ्गुत्तरनिकाय में विवाह के पूर्व स्त्रियों की शिक्षा का एक प्रसङ्ग इस प्रकार आया है कि "जब भगवान् भोजन कर चुके और उन्होंने पात्र से अपना हाथ खींच लिया तो मेण्डक नातिउग्ग एक और बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मेण्डक नातितम्ग ने भगवान से यह निवेदन किया- "भन्ते। मेरी ये लड़कियाँ पतिकुल जायेंगी, भगवान् इन्हें उपदेश दें, भगवान् इनका अनुशासन करें। जो दीर्घकाल तक इनके हित तथा सुख का कारण हो।[2] तदनन्तर भगवान् उपदेश देते हैं। इससे स्पष्ट है कि मेण्डक की पुत्रियों की शिक्षा कुछ भी नहीं थी। इनको इसी तरह से उपदेश देकर पतिगृह भेजा जाता था। कला आदि की समुचित शिक्षा जैसी पुरुषों को मिलती थी वैसी स्त्रियों को नहीं मिल पाती थी। स्त्रियों के भरण-पोषण को ही अधिक महत्त्व दिया जाता था। एवं कलाविहीन व्यक्ति घर बसाने के अयोग्य समझा जाता था।[3] नारियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। माकन्दिकावदान में नारियों के द्वारा रात्रि में बुद्ध के वचनों का पाठ किये जाने का उल्लेख मिलता है।[4]

स्त्रियों को सङ्गीत आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। राजा रुदायन की पत्नी चन्दप्रभा प्रसिद्ध नृत्याङ्गना थी।[5]

बौद्ध काल में नारी-शिक्षा - बौद्ध विहारों[6] एवं मठों में भी अर्हत् एवं उपाध्याय तथा आचार्य शिक्षा देते रहते थे। अन्तःपुर को धर्मदेशना भिक्षुणियां करती थी। राजा रुद्राय के अन्तःपुर में बौद्ध भिक्षुणी शैला को भगवान् बुद्ध ने शिक्षा देने के लिये भेजा था।[7] शिक्षकों को आचार्य, उपाध्याय तथा गुरु कहते थे। इनमें उपाध्यायिकाएँ[8] भी होती थी। पद्मावती नामक उपाध्यायिका का उल्लेख किया गया है।[9] इससे यह परिलक्षित होता है कि उस युग में स्त्रियां भी अध्यापन कार्य करती थीं। इस तरह इस काल में कुछ स्त्रियों शिक्षित तथा विदुषी होती थी।

थेरीगाथा की भिक्षुणी कवियित्रियों के काव्यमय हृदयोद्गारों से ज्ञात होता है कि वे कितनी ज्ञानपिपासु थीं। और ज्ञान के अन्वेषण एवं प्राप्ति में किस तरह तल्लीन रहा करती थीं।

चुल्लकालिङ्ग जातक में एक प्रसङ्ग है कि वैशाली में पाँच सौ वादों में पण्डित, निर्ग्रन्थ एवं दूसरी तरफ एक विदुषी निर्ग्रन्थ भी आ पहुँची। राजाओं ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। दोनों बराबर रहे। तब लिच्छवी राजाओं ने सोचा कि इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेधावी होगा। उन्होंने दोनों का विवाह कराकर एक जगह बसा दिया। दोनों के सहवास से क्रमशः चार लड़कियों, एक लड़का पैदा हुआ। उन पाँचों ने बड़ा होने पर 1000 वाद सीख लिये। माता-पिता ने लड़कियों को यह शिक्षा दी कि कोई गृहस्थ शास्त्रार्थ में हरा दे तो उसकी चरणदासियाँ बन जाना और यदि कोई प्रव्रजित हरा दे तो उसके पास प्रव्रजित हो जाना। उनके मरने के पश्चात् बहनों ने जैन शाखा के शास्त्रार्थ के लिये नगर-नगर घूमना प्रारम्भ किया इस प्रकार अन्ततोगत्वा वे एक प्रव्रजित से पराजित हुई और प्रव्रजिकाएँ बन गयीं।[10]

इस प्रसङ्ग से स्पष्ट होता है कि उस समय रित्रयों भी शास्त्रीय सवाद करती थी और उनकी शिक्षा-दीक्षा मावा-पिता के ही सरक्षण में हुआ करती थी। तत्कालीन समाज में पति पत्नी को छोड़ सकता था। इसलिये उनको कुशल गृहिणी बनने की भी शिक्षा विशेष रुप से की जाती थी। थेरीगाया में ऋषिदासी नामक एक भिक्षुणी का उद्गार इस प्रकार है —[11]

"मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया.....अपने घर में प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैं प्रतिदिन सायङ्काल और प्रातःकाल सास-असुर को प्रणाम करती। गतमस्तक होकर उनकी चरण बन्चना करती।।....मेरा पति मेरा अपमान करने लगा.....एतदनन्तर, मेरे पिता ने एक अन्य कुल वाले धनाढ्य पुरुष से मेरा विवाह कर दिया ....."

उपर्युक्त भिक्षुणी के उद्गार से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को घर में ही शिक्षा-दीक्षा दी जाती थी। और वे अपनी उस प्राप्त शिक्षा के अनुसार सास-ससुर की सेवा करती। पति की भगिनियों, भाइयों और परिजनों को उचित आसन देती। अन्न, पान खाद्यादि, जो भी घर में प्रस्तुत होता उससे सबकी यथायोग्य

सेवा करती। ठीक समय पर उठकर घर को साफ करती, कंघी, प्रसाद (प्रसाधनविशेष), अञ्जन और दर्पण लेकर स्वयं वासियों की तरह पति की सेवा करती एवं घर में भोजन आदि पकाती थीं। इतना होते हुए मी पति उनकी अवहेलना करता था और पनियों का त्याग कर देता था। पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों अपने पति के सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थ होती थी. क्योंकि उनकी इसी प्रकार की ही शिक्षा दी जाती थी।

नारियों की धार्मिक शिक्षा— तत्कालीन समाज में स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा विशेषरूप से दी जाती थी। उन्हें धार्मिक कार्य करने में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं था। प्रवधुन की बेटी कोकनदा भगवान् के सम्मुख उपस्थित होकर कहती-

"मैंने यह अर्थवती गाथा कही। यद्यपि
ऐसे (महान्) धर्म के विषय में,
संक्षेप में मैं उसके सार को कहती हूँ
(तथापि)
जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता है.
सारे संसार में कुछ भी पाप न करें.....
अनर्थ करने वाले दुख को न बढ़ावें" ।।[12]

इससे स्पष्ट है कि स्त्रियाँ धर्म के सम्बन्ध में अत्यधिक ज्ञान रखती थीं। धर्म के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म ने मिक्षुओं के लिये जहाँ ब्रह्मचर्यसम्बन्धी अनेक प्रतिबन्ध थे वहीं सङ्घ में स्त्रियों को भी प्रव्रज्या लेने की अनुमति दी गयी। वैशाली में बहुत सी स्त्रियों केश काटकर, काषाय वस्त्र पहनकर, महाप्रजापति गौतमी के साथ फूले पैरों तथा धूल भरे शरीर से रोती हुई तथागत से उसके लिये प्रज्या की अनुमति मागी और अन्ततोगत्वा तथागत ने उन्हें सह में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी।[13] तथागत का सब में प्रविष्ट होने के लिये अनुमति देना तथा अनुमति पाने से पूर्व महाप्रजापति का भगवान सेस में प्रविष्ट होने की अनुभा गमिना यह प्रमाणित करता है कि बौद्ध काल में स्त्रियों को धार्मिक कार्यों के लिये पूर्ण सोममता थी। स्त्रियों स्वभावतः पुरुषों की अपेक्षा धार्मिक कायों में अधिक रुचि लेती थी। थेरीगाथा में नन्दतुरा नाम की मिक्षुणी अपने उद्गारों की अमिव्यक्ति करती हुई कहती है- "मैं अग्रि. चन्द्रमा, सूर्य और अनेक देवताओं की पूजा, बन्दना करती थी। नदी के घाटों में जाकर डुबकी लगाती थी। आधे सिर का मुण्डन, पृथ्वी पर सोना, रात्रि भेजी का त्याग... इस प्रकार मैं अनेक व्रतों का पालन करती थी।[14]

इस नन्दतुरा की अमिव्यक्ति से स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियों अग्रि, वन्द्रमा, सूर्य आदि देवताओं की पूजन करती थी। नदी के घाटों पर जाकर जल में डुबकी लगाती थी। रात्रि भोजन का त्याग आदि लौकिक क्रियाएँ करती थी। इन कार्यों को करने की इन्हें पूर्ण अनुमति थी। ये अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को इसलिये रहत्ती थी कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो।[15] समाज में स्त्रियों को धार्मिक कार्यों के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं था। वे धार्मिक कार्य करती थीं, जैसा कि थेरीगाथा में ऋषिदासी के पिता ने उससे कहा था कि तुम घर पर रहकर ही धर्माचरण करो। अन्न-पानादि दान देकर श्रमणों और ब्राह्मणों की सेवा करो। परन्तु पापकर्मों की मुक्तिहेतु, ऋषिदासी के आग्रह पर अन्त में उसके पिता ने प्रव्रज्या लेने की अनुमति दे दी।[16]

तत्कालीन समाज में धार्मिक दृष्टि से नारियों को पुरुषों के समकक्ष ही गाना जाता था। सोमा मिक्षुणी जब समाधि की अवस्था में थी तो उसी समय पापी मार आकर उसे पति से विचलित करने का प्रयास करने लगा। तब सोमा मिक्षुणी अपने हृदयांद्वार यो प्रकट करती है- "जब वित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है और धर्म का पूर्णत साक्षात्कार हो जाता है तब स्त्रीभाव क्या करेगा!" जिस किसी को ऐसा विचार होता है- "मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ अथवा कुछ और ही, उसी से मार ऐसा कह सकता है।"[17]

सोमा मिक्षुणी की इस गाथा से यह स्पष्ट होता है कि नारियों को धार्मिक कृता करने से उन्हें उचित फल मिलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं आ सकता। स्त्रियों को धार्मिक कार्य करने में पुरुष के समान ही फल मिलेगा यह धारणा तत्कालीन समाज में थी। तत्कालीन समाज में स्त्रियों भी धार्मिक भावनाओं द्वारा किये गये मिक्षुओं के गुणों का वर्णन करती एवं मिक्षा देकर जो सहानुभूति दिखाती थी उससे उनकी मातृ-

भावना प्रकट होती है। रोहिणी द्वारा अपने पिता को श्रम के गुण बताना इस बात का प्रमाण है।[18] प्रारम्भिक अवस्था में ही धार्मिक भावनाओं से जो धार्मिक शिक्षा इन्हें दी जाती थी और उसकी रूपरेखा इनके मन में बन जाती थी उसी का वे अपनी युवावस्था में परिशीलन करती थी। यदि उनके मन में किसी भी प्रकार की शङ्का उत्पन्न होती थी वो उसक समाधान के लिये धार्मिक महापुरुषों के पास जाया करती थी। भगवान बुद्ध से, विशाखा मिगार-माता[19], नकुलमाता गृहपत्नी[20], महाप्रजापति गौतमी[21] आदि नारियों साक्षात् जाकर अपनी शङ्काओं का समाधान कराती हैं। तथा नारियों के सम्बन्ध में पूछती हैं एवं मनापकायी देवियों की श्रेणी में आने की बात सोचती है। इसी प्रकार सुमना[22] राजकुमारी पाँच सौ राजकुमारियों के साथ तथा चुन्दी राजकुमारी[23] धार्मिक भावनाओं से युक्त होकर भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान् बुद्ध उनकी धार्मिक शङ्काओं का गम्भीरता से निराकरण करते हैं। इससे यह विदित होता है कि स्त्रियों धार्मिक पुरुषों से अपनी शङ्काओं का समाधान कराती थीं। उन्हें इस तरह की स्वतन्त्रता (छूट) थी। उनकी धार्मिक भावनाएँ बहुत अधिक दृष्टिगत होती हैं। वे धर्म को अपना एकमात्र साधन समझती थीं। धर्म-कार्यों में दान आदि देने की प्रवृतियों से युक्त थीं। बाल्यावस्था में इन्हें अधिक छूट थी, परन्तु विवाह होने के बाद उनका एक ही धर्म पतिव्रतधर्म हो जाता था। पतिव्रतधर्म न मानने पर कान, नाक आदि काटने का भी दण्ड (सजा) दिया जाता था।[24] परिवार के कल्याणार्थ देवपूजा-सङ्कल्प (मनौती) आदि भी मानती थी।[25] पूजा-पाठ भी करती थी। गृहस्थ जीवन मे पतिव्रता रहना, सदाचारिणी रहना, कर्त्तव्यपरायण रहना उनका मुख्य धर्म हो जाता था।[26]

इस अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार छठी शताब्दी ई0पू0 से लेकर छठीं सदी तक भारतीय समाज में स्त्रियों का धार्मिक एवं शैक्षणिक जीवन न तो वैदिक काल की तरह पूर्ण स्वतन्त्र तथा विकसित था और न मध्यकाल की तरह अत्यन्त हासशील एवं अवनत ही था। वे वैदिक धर्मानुशासन के अन्तर्गत न तो शिक्षा और वैदिक मन्त्रों की अधिकारिणी थी और न पतिसेवा के अतिरिक्त अन्य धार्मिक कार्य के लिये स्वतन्त्र थी। किन्तु गौतम बुद्ध के उदय एवं बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ-साथ स्त्रियों का प्रव्रज्या लेकर आत्मशुद्धि और धर्माचरण द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। परिवार में रहते हुए भी स्वतन्त्रतापूर्वक बुद्ध. धर्म और सङ्घ की सेवा करती एवं धार्मिक कार्यों के लिये पर्याप्त दान देती थी।

संदर्भ:

1. ऋग्वेद 10/39-39-40.
2. अङ्गुत्तरनिकाय, भाग-2, पृष्ठ 265.
3. दीघनिकाय, भाग-1, पृष्ठ 63; मज्झिमनिकाय 1. पृष्ठ 337.
4. माकन्दिकावदान 457.
5. रुवायणावदान, पृष्ठ 470.
6. दिव्यावदान 96/15, 170/130.
7. रुद्रायणावदान, पृष्ठ 496.
8. महावस्तु 2/225/2; सौन्दरनन्द 18/20.
9. अवदानशतक भाग-2/51/7.
10. जातक भाग-2, चुलिकालिङ्ग, पृष्ठ 172-73.
11. थेरीगाथा 126, 27, 28 ऋषिदासी 72/125-128.
12. संयुत्तनिकाय, पुत्लपञ्जुनधीतुयुत्त, पृष्ठ 29.
13. विनयपिटक, भिक्षुणीस्कन्धक, पृष्ठ 519-201.
14. थेरीगाथा 42/87-88, पृष्ठ 361.
15. वही, 25/31, पृष्ठ 16.
16. संयुत्तनिकाय भाग-1, पृष्ठ 109.
17. थेरीगाथा 67/271-75, पृष्ठ 95.
18. वही, 72/430-32, पृष्ठ 130.
19. अङ्गुत्तरनिकाय, भाग-3, पृष्ठ 329-335.
20. वही, पृष्ठ 339.
21. वही, पृष्ठ 334.
22. अङ्गुत्तरनिकाय, भाग-2, पृष्ठ 261.
23. वही, पृष्ठ 263.
24. जातक, भाग-2. पृष्ठ 302.
25. वहीं, पृष्ठ 301.
26. जातक, भाग-2, पृष्ठ 308-330.

•